डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक : सम्ब0/1587/2026 दिनांक : 25/05/2026

सेवा में,

प्राचार्य,
बी0एस0ए0 कालेज,
मथुरा। (कॉलेज कोड–017)

विषयः– महाविद्यालय में संचालित अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित विषयों/पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीट संख्या के सापेक्ष प्रवेश एवं शुल्क वसूली के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि एडवोकेट अनिल कुमार अम्बेडकर, सदस्य, भारतीय जनता पार्टी, आगरा द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 13.05.2026 विश्वविद्यालय में प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र में महाविद्यालय में संचालित विभिन्न अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित विषयों/पाठ्यक्रमों (Aided एवं SFS Courses) में शासनादेशों एवं विश्वविद्याल नियमों के विपरीत प्रवेश लिये जाने सम्बन्धी गंभीर शिकायतें अंकित की गयी हैं। शिकायत में यह भी उल्लेखित किया गया है कि छात्र–छात्राओं से प्रवेश शुल्क एवं परीक्षा शुल्क आदि के नाम पर निर्धारित शुल्क से अतिरिक्त/अवैध धनराशि की वसूली की जा रही है। साथ ही छात्र संख्या के अनुरूप शिक्षकों के अनुमोदन न होने, स्वीकृत मानकों के विपरीत शिक्षण व्यवस्था संचालित किये जाने तथा शिक्षकों द्वारा नियमित पठन–पाठन कार्य संपादित न किये जाने सम्बन्धी आरोप भी लगाये गये हैं।

उक्त प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अपेक्षा की जाती है कि शिकायत के प्रत्येक बिन्दु पर अभिलेखीय साक्ष्यों सहित बिन्दुवार एवं सुस्पष्ट आख्या तैयार कर एक सप्ताह के भीतर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे प्रकरण में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

संलग्नकः– यथोक्त शिकायत पत्र की प्रति।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभारी, कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महाविद्यालय में उपलब्ध अभिलेखों एवं वास्तविक स्थिति की अपने स्तर से जांचोपरान्त विस्तृत आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. ऐजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र/सूचना को महाविद्यालय की लॉगिन आई०डी० पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

Affisviett